समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्र /2017 पुनर्विलोकन

1. श्रीमती कमला विश्वकर्मा पत्नी स्व श्री लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा
2. घनश्याम पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीप्रसाद आयु 58
3. हरिबाबू पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीप्रसाद आयु 58
4. रमेश पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीप्रसाद आयु 56
5. अशोक पुत्र स्व श्री लक्ष्मीप्रसाद आयु48
6. देवानंद पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीप्रसाद आयु 44

समस्त निवासीगण वडी देवी मंदिर के सामने पुरानी टेहरी टीकमगढ म.प्र. ।

.........आवेदकगण

श्री...... द्वारा आज दि......को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमती सुशीला पत्नी स्व. श्री जयराम शर्मा निवासी 36 कादम्वरी परिसर वागमुगलिया होशागावाद रौड भोपाल मप्र. ।
2. गुलशन पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश पोत्र घनश्याम निवासी ग्प्रम गुलारा जिला झांसी उ.प्र.।
3. संतोष पुत्र स्व. श्री मथुरा निवासी हीरापुरा नगरा झांसी उ.प्र.।

.....................अनावेदकगण

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू—राजस्व सहिता , 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी 1133/एक /2017 मे पारित आदेश दिनांक 12.5.2017 को पुर्नविलोकन किये जाने वावत ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/पुनर्विलोकन/टीकमगढ़/भू.रा./2017/1616

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–2017	आवेदकगण की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उनकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	